कार्यालय, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001

ई–मेलः ayushmanuttarakhand@gmail.com

पत्रांक– अ0आ0उ0यो0 / 2019–20 / 247 दिनांक 10 जून 2019

कारण बताओ नोटिस

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना–राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के अन्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालय **जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर** द्वारा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को उपचार प्रदान करने से सम्बन्धित क्रियान्वयन सहायता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों एवं प्रमाणों का परीक्षण करने के उपरांत विदित हुआ कि जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा निम्न वर्णित बिंदुओं के अनुसार अनियमितताएँ, अनुबंध का उल्लंघन, धोखाधड़ी, षडयंत्र एवं दुरभि सन्धि किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है :–

1. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने हेतु अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना–राज्य स्वास्थ्य अभिकरण उत्तराखण्ड के साथ जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया था। **डा0 विशाल हुसैन जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर के स्वयं मालिक हैं तथा जिसमें एकमात्र चिकित्सक भी वही हैं।** सूचीबद्ध कराने हेतु दिये गए प्रार्थना पत्र में यह कथन दिया गया है कि वे जनसेवा हॉस्पिटल में 24×7 उपलब्ध चिकित्सक हैं। एकमात्र चिकित्सक के लिए यह असंभव कृत्य है कि वह हॉस्पिटल में 24×7 उपलब्ध हो सके, ऐसी स्थिति में जनसेवा हॉस्पिटल के डा0 विशाल हुसैन का यह कथन मिथ्या प्रतीत होता है।
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केलाखेड़ा, जिला ऊधम सिंह नगर में कोई भी चिकित्सक तैनात न होने के बावजूद मेडिकल ऑफिसर की मोहर लगाकर श्री अनुराग रावत, फार्मासिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा द्वारा 47 मरीजों को रेफर किया गया है। इस तरह से रेफरल का प्रकरण पूर्व में आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर के केस में भी सामने आया था, जिस सम्बन्ध में **अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना द्वारा श्री अनुराग रावत, फार्मासिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा के विरुद्ध आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर के साथ मिलकर धोखाधड़ी / दुरभि संधि / षडयंत्र करने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0219 दिनांक 18 मई 2019 समय 18:40 बजे भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 एवं 471 के अंतर्गत दर्ज करायी जा चुकी है।** वर्तमान प्रकरण में जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर व

10.06.19

श्री अनुराग रावत, फार्मासिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा का यह कृत्य धोखाधड़ी/दुरभि संधि/षडयंत्र का संदेह उत्पन्न करता है।

3. जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर में सूचीबद्ध होने की तिथि से दिनांक 07 जून 2019 तक कुल 73 मरीजों का इलाज किया गया। इनमें से 55 केसेस प्लान्ड केसेस (रेफरल के आधार पर) थे। इन रेफरल केसेस में कुल 47 रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा द्वारा जारी किये गए हैं। **ये सभी के सभी 47 रेफरल एक ही हैंडराइटिंग में सेम पैटर्न पर तैयार किये गए हैं जो संदेह की स्थिति उत्पन्न करते हैं।** इन 47 रेफरल में से 05 रेफरल ऐसे हैं जिनमें कोई दिनांक अंकित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर के संचालक व एकमात्र चिकित्सक डा0 विशाल हुसैन व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा के फार्मासिस्ट श्री अनुराग रावत द्वारा मिलकर धोखाधड़ी/दुरभि संधि/षडयंत्र का कृत्य किया गया है।
4. अभिलेखों के अनुसार जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर में सूचीबद्ध किये जाने की तिथि से दिनांक 07 जून 2019 तक 73 मरीजों में से **18 मरीजों का Acute febrile illness पैकेज के अंतर्गत तथा 13 मरीजों का Pyrexia of unknown origin पैकेज के अंतर्गत उपचार किया गया है।** इस प्रकार कुल 73 मरीजों में से 31 मरीजों का उपचार केवल 02 पैकेज के अंतर्गत किया जाना संदेहास्पद है।
5. अभिलेखों के अनुसार जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर में सूचीबद्ध किये जाने की तिथि से दिनांक 07 जून 2019 तक कुल 73 मरीजों का ईलाज किया गया है। इन 73 केसेस में से 18 केसेस इमरजेंसी के हैं तथा 55 केसेस प्लान्ड हैं। **कुल उपचारित मरीजों में से 14 केसेस में मरीजों का उपचार प्री–ऑथ इनिशियेशन/प्री–ऑथ अप्रूवल से पूर्व ही कर दिया गया है।** इन 14 रोगियों से सम्बन्धित विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

Table: List of 14 cases where treatment of patients done before Pre-auth initiation /Pre-auth approval.

S No	Case No	Admission Date	Preauth initiation Date	Preauth Approve Date	Treatment Date	Admission Type	Preauth Approved Amount (RS)	Paid/ Unpaid
1.	CASE/HOSP5P04721/E6148	07/02/2019 12:00:00 AM	08/02/2019 05:18:30 PM	08/02/2019 11:30:26 PM	07/02/2019 12:00:00 AM	Planned	1800	Paid
2.	CASE/HOSP5P04721/D6550	11/02/2019 12:00:00 AM	11/02/2019 07:50:14 PM	12/02/2019 02:00:26 AM	12/02/2019 12:00:00 AM	Planned	3600	Paid
3.	CASE/HOSP5P04721/D8518	15/02/2019 12:00:00 AM	16/02/2019 06:17:02 PM	16/02/2019 06:56:52 PM	15/02/2019 12:00:00 AM	Planned	1800	Paid
4.	CASE/HOSP5P04721/D12116	28/02/2019 12:00:00 AM	01/03/2019 11:57:55 AM	01/03/2019 02:01:41 PM	28/02/2019 12:00:00 AM	Emergency	1800	Paid
5.	CASE/HOSP5P04721/S10071	22/02/2019 12:00:00 AM	22/02/2019 06:22:42 PM	23/02/2019 12:25:42 AM	22/02/2019 12:00:00 AM	Planned	1800	Paid
6.	CASE/HOSP5P04721/D12444	01/03/2019 12:00:00 AM	01/03/2019 06:29:04 PM	02/03/2019 12:43:33 AM	01/03/2019 12:00:00 AM	Planned	3600	Paid
7.	CASE/HOSP5P04721/D12478	01/03/2019 12:00:00 AM	01/03/2019 08:07:04 PM	02/03/2019 02:13:33 AM	01/03/2019 12:00:00 AM	Planned	5400	Paid
8.	CASE/HOSP5P04721/D12	01/03/2019	01/03/2019	02/03/2019	01/03/2019	Emergency	5400	Paid

10.06.19

	481	12:00:00 AM	08:21:17 PM	02:28:33 AM	12:00:00 AM			
9.	CASE/HOSP5P04721/D12 830	02/03/2019 12:00:00 AM	02/03/2019 08:29:12 PM	03/03/2019 01:07:07 AM	02/03/2019 12:00:00 AM	Planned	1800	Paid
10.	CASE/HOSP5P04721/D12 727	02/03/2019 12:00:00 AM	02/03/2019 08:54:24 PM	03/03/2019 01:17:25 AM	02/03/2019 12:00:00 AM	Planned	5400	Paid
11.	CASE/HOSP5P04721/D16 587	13/03/2019 12:00:00 AM	13/03/2019 06:15:21 PM	14/03/2019 08:47:06 AM	13/03/2019 12:00:00 AM	Emergency	5400	Paid
12.	CASE/HOSP5P04721/S18 614	18/03/2019 12:00:00 AM	18/03/2019 05:37:11 PM	19/03/2019 02:36:46 PM	18/03/2019 12:00:00 AM	Planned	5400	Paid
						Total	43200	
13.	CASE/HOSP5P04721/D18 143	17/03/2019 12:00:00 AM	17/03/2019 01:08:49 PM	17/03/2019 03:05:20 PM	18/03/2019 12:00:00 AM	Planned	5400	Unpaid
14.	CASE/HOSP5P04721/D59 313	19/04/2019 12:00:00 AM	19/04/2019 10:48:57 PM	20/04/2019 04:49:53 AM	19/04/2019 12:00:00 AM	Emergency	5400	Unpaid
						Total	10800	

जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के सेक्शन 4 पैरा 2(ii) निम्न प्रावधान है–

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure,

Para 2. Pre-authorisation, (ii). No EHCP shall, under any circumstances whatsoever, undertake any such earmarked procedure without pre-authorisation unless under emergency. Process for emergency approval will be followed as per guidelines laid down under ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND."

जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध में इमरजेंसी में भर्ती के सम्बन्ध में सेक्शन 4 पैरा 4 में निम्न प्राविधानित है–

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure

Para 4. Emergency admission: In case of emergency the beneficiary may get the treatment after getting TPIN (Telephonic Patient Identification Number) from the call centre and same will be recorded. ..."

उपरोक्त प्रकरणों में 14 मरीजों के संबंध में Pre-Auth initiation/Pre-Auth Approval के बिना ही उपचार कर दिया गया है। यहाँ ये भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि उपरोक्त 14 केसेस में से 4 केसेस इमरजेंसी में भर्ती हुए हैं तथा अन्य 10 केसेस प्लान्ड केसेस हैं। जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा Planned Cases में बिना प्री–ऑथ इनिशियेशन/अप्रूवल के तथा Emergency Cases में बिना TPIN लिये उपचार कर दिया गया। यह तथ्य दर्शाता है कि चिकित्सालय द्वारा अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन न करते हुए अवैधानिक रूप से योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया है। जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर का यह कृत्य मरीजों के उपचार में अवैधानिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी कर फर्जी क्लेम प्रस्तुत करने का संदेह भी उत्पन्न करता है।

जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को उक्त **वर्णित अनियमितताओं हेतु यह "कारण बताओ नोटिस" दिया जाता है कि क्यों न–**

i. जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर की सूचीबद्धता निरस्त करते हुए उसका de-empanelment कर दिया जाये।

ii. बिंदु संख्या 2, 3, 4 एवं 5 में वर्णित कुल **58 केसों** के क्लेम की धनराशि रू0 **207000/–** जो चिकित्सालय द्वारा **प्राप्त कर ली गई है**, वह अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना सोसाइटी को जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा **वापिस की जाय** और अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण **अर्थदण्ड भी लगा दिया जाये**।

iii. बिंदु संख्या 2, 3, 4 एवं 5 में वर्णित जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर के **लम्बित 12 क्लेमों (धनराशि रू0 54000/–) को निरस्त कर दिया जाये**, और अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण **अर्थदण्ड भी लगा दिया जाये**।

जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा उक्त **"कारण बताओ नोटिस"** का उत्तर देने के लिए नोटिस प्राप्ति की तिथि से **15 दिन का समय दिया जाता है**। यद्यपि उक्त आरोपों के सम्बन्ध में स्वयं जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर के पास सभी अभिलेख उपलब्ध हैं, तथापि जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को यह अवसर भी दिया जाता है कि वह उक्त 15 दिन की अवधि में किसी भी कार्य दिवस पर आकर अभिलेखों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। यदि निर्धारित अवधि में चिकित्सालय द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि चिकित्सालय द्वारा उक्त आरोपों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और चिकित्सालय के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।

उक्त लगाए गए आरोपों के क्रम में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के साथ जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा किये गए अनुबंध में दंड के प्राविधान Annexure 6: Process for Disciplinary Proceedings And De-Empanelment में उल्लिखत की गई व्यवस्था के अनुसार अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में सूचीबद्ध जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर की **सूचीबद्धता (empanelment) तत्काल प्रभाव से (जब तक अंतिम निर्णय न हो जाए) निलंबित की जाती है** ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं/गलत भुगतान की संभावना से बचा जा सके। इस विषय पर अंतिम निर्णय होने तक जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर की login को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण के सिस्टम पर तत्काल ब्लॉक कराने की कार्रवाही भी की जाये तथा जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर के वर्तमान में लम्बित समस्त

देयकों को अंतिम निर्णय होने तक प्रतीक्षा (abeyance) में रखा जाए। इस कारण बताओ नोटिस को डा0 विशाल हुसैन, संचालक जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर जनपद ऊधम सिंह नगर को ई–मेल से तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक– प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को विशेष रुप से इस कारण बताओ नोटिस के बिंदु संख्या 02 एवं 03 के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिला अधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर।
3. समस्त निदेशक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA)।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर।
5. राज्य समन्वयक, कियान्वयन सहायता एजेंसी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
6. डा0 विशाल हुसैन, संचालक जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक– प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना